




मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना. 2022

(यथा संशोधित जून, 2023)



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग





मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022

(यथा संशोधित जून, 2023)



सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विषय-वस्तु

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	परिचय	1
2.	स्टार्टअप नीति के उद्देश्य	2
3.	नीति फोकस क्षेत्र	3
4.	नीति की अवधि और प्रयोज्यता	3
5.	परिभाषाएं	4
6.	स्टार्ट-अप्स एवं इंक्यूबेटर्स को सहयोग/सहायता	6
7.	प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश	16
8.	संशोधन/शिथिल/निरसन का अधिकार	16
9.	अधिकार क्षेत्र	16
	प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश	17

मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उद्देश्य है।

नीति का उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसके अन्तर्गत उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सुविधाओं का समावेश किया गया है।

2 स्टार्ट-अप नीति के उद्देश्य

स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 के मुख्य उद्देश्य प्रदेश में :-

- i. सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive intervention) और अन्य उत्प्रेरक (Catalyst) कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र (Eco-system) का विकास।
- ii. स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत (Registered) एवं मान्यता प्राप्त (Recognized) स्टार्ट-अप में 100% विकास दर प्राप्त करना।
- iii. कृषि और खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप इण्डिया, भारत सरकार में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में 200% विकास दर प्राप्त करना।
- iv. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स (Product Start-ups) की संख्या में वृद्धि।
- v. नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता विस्तार।
- vi. स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
- vii. नवाचार (Innovation) और स्टार्ट-अप के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु संस्कृति का विकास।
- viii. भारत सरकार की स्टार्ट-अप रैंकिंग में राज्य को उच्च स्थान दिलाना।



3 नीति फोकस क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति पाँच स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

- i. संस्थागत सहयोग (Institutional Support) ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सहित।
- ii. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।
- iii. नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
- iv. विपणन सहयोग।
- v. वित्तीय एवं गैर वित्तीय सहायता।

4 नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्य प्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

5

परिभाषाएं

1. 'स्टार्टअप' से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई से, जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता (recognized) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित एवं पंजीकृत हो।

महिला द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उसकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

¹[अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।]

2. उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप (Product Start-up) से अभिप्रेत है ऐसा स्टार्ट-अप जो ऐसा उत्पाद निर्मित करता हो, जिसका एक भौतिक आकार हो।
3. ²[इंक्यूबेटर से अभिप्रेत है स्टार्टअप इकाईयों को प्रारंभिक अवस्था के दौरान समर्थन करने के लिये परिकल्पित किया गया एक संगठन जो व्यावसायिक सहयोग, संसाधनों और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यापारिक मॉडल विकसित करने में सहायता करता है। एवं


3.1 इंक्यूबेटर एक कानूनी इकाई हो।

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी
अथवा

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत एक न्यास
अथवा

(ग) कंपनी अधिनियम 1956 अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
अथवा

-
1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्र. 1058/1260091/2023/1/65, दिनांक 01.06.2023 से अंतःस्थापित किया गया एवं अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2023 से प्रभावी।
 2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्र. 1564/495/2021/अ-73, दिनांक 25.07.2022 से प्रतिस्थापित किया गया।



(घ) किसी विधायी अधिनियम के माध्यम से निर्मित एक सांविधिक निकाय।

3.2 इंक्यूबेटर में कम से कम 20 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो।

3.3 इंक्यूबेटर के पास व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभवी एक पूर्णकालीक प्रमुख हो, जिसकी सहायता एक सक्षम टीम द्वारा की जाएगी, जो परीक्षण और विचारों के वैधीकरण में स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ वित्त, विधिक और मानव संसाधन संबंधी कार्यों के लिये जिम्मेदार होगा।

3.4 इंक्यूबेशन सेंटर में केवल स्टार्टअप्स इंक्यूबेट अथवा कार्यरत हो सकेंगे।

3.5 मध्यप्रदेश में स्थापित/कार्यरत होना अनिवार्य होगा।]

4. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (TBI) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय शासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम है, जो एक नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा और आधार देने के लिए कार्यरत है।
5. मेजबान संस्था से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश स्थित कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान् औद्योगिक प्रतिष्ठान/स्मार्ट सिटी कंपनियां और अन्य सोसायटी/विशेष प्रयोजन इकाई(यां)।
6. ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।
7. राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती अंतर्गत स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग एवं चयन तथा नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।
8. राज्य स्तरीय आंकलन/मूल्यांकन समिति से अभिप्रेत है राज्य नवाचार चुनौती State Innovation Challenge अन्तर्गत चयन स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

9. राज्य स्तरीय सहायता समिति से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ स्वीकृत करने हेतु गठित समिति।

6 स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को सहयोग/सहायता

स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा व्यापार सरलीकरण स्तम्भ प्रमुख होते हैं। राज्य शासन इन स्तम्भों के माध्यम से प्रदेश को स्टार्ट-अप विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप का निवेश गंतव्य बनाने हेतु कृत संकल्पित है।


6.1 संस्थागत सहयोग (Institutional Support)

6.1.1 मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को फेसिलीटेशन एवं आवश्यक सहयोग, एक संस्थागत मंच प्रदान करने तथा उन्हें वैश्विक तथा स्थानीय बाजार/ आयोजनों/ कार्यशालाओं इत्यादि में पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के संरक्षण तथा तत्वाधान में विषय विशेषज्ञों से युक्त स्टार्ट-अप सेंटर की स्थापना की जावेगी। यह सेंटर राज्य में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने वाली समर्पित एजेंसी का कार्य करेगी।

■ स्टार्ट-अप सेंटर के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

- राज्य में स्टार्ट-अप का मार्गदर्शन और सहायता करना।
- स्वीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृति के लिये राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय/सतत् संपर्क करना।

- 
- iii. निर्धारित रीति से किसी भी अनुमोदन / प्रोत्साहन और किसी भी अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों को हल करना। यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
 - iv. यह राज्य के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा कर सकता है।
 - v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।
 - vi. केंद्र स्टार्टअप / नवोन्मेषी (Innovative) उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न निवेशों, बाजार तथा अन्य संबंधित प्लेटफार्मस् में अपनी सेवाओं / उत्पादों को पिच / शोकेस करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह मेंटरशिप सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा और सेबी /आरबीआई/ अन्य सक्षम प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशकों/कॉर्पोरेट निवेशकों / अन्य फंडिंग एजेंसियों से आवश्यक निवेशकों से पूंजी/ अन्य वित्तीय व्यवस्था करने में मदद करेगा।
 - vii. मास्टर डाटा बेस को तैयार करना।
 - viii. स्टार्ट-अप्स को कम्पनी तथा कर संबंधी कानूनों के परिप्रेक्ष्य में आ रही समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
 - ix. राज्य एवं राज्य के बाहर बूट केम्प्स, चैलेंज प्रतियोगिताओं, रोड शोज़ तथा निवेशक सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन।
 - x. स्टार्ट-अप एवं इन्क्यूबेटर के लिए सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

xi. बाजार पूर्व अध्ययन एवं मूल्यांकन।

■ प्रस्तावित सेंटर हेतु मानव संसाधन की व्यवस्था


- कार्यकारी प्रमुख - 1
- विषय विशेषज्ञ - 3 (कानूनी मामले, विपणन एवं वित्तीय तथा परियोजना प्रबंधन प्रत्येक के लिए एक)
- सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी - 10

सहयोगी कार्यकारी/कर्मचारी को छोड़कर कार्यकारी प्रमुख तथा विषय विशेषज्ञों संबंधी मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति इस क्षेत्र में कार्य कर रहे पेशेवर विशेषज्ञों से की जावेगी। इन पदों को प्रचलित बाजार मापदण्डों/परिचालितियों के अनुरूप वेतन प्रदान किया जावेगा। कार्यकारी प्रमुख का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 2.50 से 3.00 लाख एवं विषय विशेषज्ञ का अनुमानित मासिक वेतन रूपए 1.00 से 1.50 लाख आंकलित होगा। उक्त पदों की व्यवस्था पूर्णतः संविदात्मक एवं अनुबंध के आधार पर 3 वर्षों के लिए होगी। इस अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जावेंगे।

सहयोगी कर्मचारियों की व्यवस्था विभाग तथा उसके अधीन कार्यरत निगम/ संस्थाओं में कार्यरत विद्यमान कार्यबल से की जावेगी।

■ प्रस्तावित सेंटर हेतु वित्तीय व्यवस्था

एमपी स्टार्ट-अप सेंटर के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तीय व्यवस्था उद्यमिता विकास केन्द्र तथा लघु उद्योग निगम के आन्तरिक पुनर्गठन तथा स्टार्ट-अप मद में उपलब्ध विभागीय बजट आवंटन से की जावेगी।



वेंचर केपीटल फंड हेतु विभाग के बजट में आवंटित राशि का उपयोग एमपी स्टार्ट अप सेन्टर की स्थापना एवं स्टार्टअप/इन्नोवेशन संबंधी गतिविधियों में किया जायेगा।

6.1.2 सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल का विकास

प्रदेश में स्टार्ट-अप हेतु एक सुदृढ़ ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जावेगा जो स्टार्ट-अप्स, निवेशकों, इन्व्यूबेटर्स तथा अन्य संबंधित हित धारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु सेतु का कार्य करेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के स्टार्ट-अप पोर्टल से एकीकृत किया जावेगा। प्रदेश में स्टार्ट-अप एवं इन्व्यूबेटर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रधानतः (Preferably) सभी प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जावेगा।

6.1.3 अकादमिक सहयोग एवं भागीदारी (Academic Support & Participation)

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स विशेषकर उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप तथा नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आवश्यक तकनीकी एवं मार्गदर्शी सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों एवं अन्य अकादमिक संस्थानों से आवश्यक सहायता एवं भागीदारी प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर नवाचार के द्वारा आकल्पित एवं विकासधीन उत्पादों की टेस्टिंग, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए आवश्यक उच्च तकनीक की मशीनरी निश्चित समय के लिए उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर इन्दौर एवं भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, भोपाल, आइआइएसईआर (IISER), आईआईआईटीडीएम जबलपुर इत्यादि के साथ यथा संभव सहयोग प्राप्त करेगा।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास संबंधी कोर्स पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। इन संस्थानों में नियमित रूप से बुद्धिशीलता एवं विचार मंथन कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा। छात्रों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने के लिए इंटरनशिप को प्रोत्साहित किया जावेगा।

छात्रों को स्टार्ट-अप प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सुविधाओं से अवगत कराने के लिए स्टार्ट-अप इण्डिया के सहयोग से वर्ष में दो बार पारस्परिक चर्चा हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जावेगा।


6.1.4 ईज ऑफ़ इईंग बिजनेस (EoDB)

प्रदेश के स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स के सुगम संचालन हेतु उन्हें विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेसिलीटेट किया जावेगा। आवश्यक अनुमति/सम्मतियों के लिए कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto) की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस गारन्टी अधिनियम, 2010 (यथा संशोधित, 2020) में किए गए प्रावधानों के अनुरूप मान्य अनुमोदन (Deemed Approval) भी प्रदान किया जावेगा।

6.2 विपणन एवं नकद तरलता सहयोग/सहायता (Marketing & Liquidity Support/Assistance)

प्रदेश में स्टार्ट-अप्स को संस्थागत विपणन सहायता हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (समय-समय पर संशोधित) में निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे –

- रुपये 1 करोड़ तक की शासकीय निविदा में भाग लेने वाले स्टार्ट-अप उद्यम को अनुभव एवं टर्नओवर संबंधी शर्तों / मापदण्डों से छूट प्रदान की जावेगी।



रुपए 1 करोड़ से अधिक की शासकीय निविदा हेतु संबंधित विभाग यदि उचित समझो तो पृथक से स्टार्ट अप से सेवा/उत्पाद उपार्जन का प्रावधान कर सकता है।

- रुपए 1 करोड़ से अधिक के सेवा उपार्जन संबंधी निविदाओं (NIT)/प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) के परिप्रेक्ष्य में स्टार्ट-अप के लिए आकल्पन प्रमाण (Proof of Concept) को मान्य/स्वीकार किया जावेगा।

किन्तु उपरोक्त प्रावधान अन्तर्गत सेवा अथवा उत्पाद की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक अहर्ताओं की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- राज्य शासन के समस्त निविदाओं (NIT)/ प्रस्ताव के अनुरोध (RFP) में सुरक्षा निधि (Security Deposit) बयाना राशि (EMD) से छूट प्राप्त होगी।

अन्य -

- राज्य सरकार के निगम मण्डलों तथा प्रमुख विभागों को यथासंभव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत TReDS Platform (Trade Receivable Discounting System) से जोड़ा जावेगा, ताकि स्टार्ट-अप्स को नकद तरलता की कमी (Liquidity Crunch) का सामना ना करना पड़े।

6.3 वित्तीय सहायता (Financial Assistance)


6.3.1 प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स

- **प्राप्त निवेश पर सहायता** - ऐसा स्टार्ट-अप जिसमें सेबी (Security and Exchange Board of India)/RBI द्वारा अधिमन्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फण्ड/निवेश प्राप्त किया गया हो तो प्राप्त प्रथम निवेश के 15% की दर से अधिकतम रुपए 15 लाख की सहायता दी जावेगी। यह सहायता

स्टार्ट-अप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणों में प्राप्त निवेश पर प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक अधिकतम 15% की दर से देय होगी।

- उक्त परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में स्थित संबंधित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख सहायता दी जावेगी।
- ¹[महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थावपत स्टार्ट-अप्स को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रुपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरणों में अधिकतम रुपये 72 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी, शेष शर्त यथावत।]
- **आयोजन सहायता** - स्टार्ट-अप से संबंधित कार्यक्रम के आयोजन के लिए मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को रूपए 5 लाख प्रति आयोजन की सहायता जो रूपए 20 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- **इन्क्यूबेशन उन्नयन सहायता** - इन्क्यूबेटर्स के उन्नयन हेतु रूपए 5 लाख की एक मुश्त सहायता, किन्तु इस सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रत्येक इन्क्यूबेटर को उसकी विद्यमान सीट क्षमता में 20% की अतिरिक्त वृद्धि करनी होगी। यह सुविधा इन्क्यूबेटर के सम्पूर्ण जीवन काल में केवल एक बार प्राप्त होगी।
- **लीज रेंटल सहायता** - स्टार्टअप्स को लीज पर लिये गये कार्यस्थल हेतु चुकाये गये प्रतिमाह किराये का 50% अधिकतम रु. 5000/- प्रतिमाह की लीज रेंटल सहायता तीन वर्ष के लिये। उक्त सहायता राज्य शासन अथवा राज्य शासन से सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टर में स्थापित उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को उनके द्वारा लीज पर लिये गये भू-खण्ड/शेड/निर्मित स्थान पर चुकाये गये लीज रेंट एवं संधारण शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। परन्तु उक्त सहायता किसी भी परिस्थिति में उक्त मदों में चुकायी गयी राशि के 50% अधिकतम रु. 5000/- प्रतिमाह एवं तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के आदेश क्र. 1058/1260091/2023/1/65, दिनांक 01.06.2023 से प्रतिस्थापित किया गया एवं अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2023 से प्रभावी।

- 
- **पेटेंट सहायता** - पेटेंट प्राप्त करने हेतु रूपए रूपए 5 लाख की अधिकतम सहायता इस शर्त के साथ कि पेटेंट प्रदेश में स्थापित स्टार्ट-अप के लिए प्राप्त किया गया हो।

6.3.2 उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं सहयोग

- एक वर्ष हेतु समवर्ती अनुज्ञप्ति/सम्मति (Concurrent License/Consent) की सुविधा।
- एमएसएमई टेक्नॉलाजी सेंटर, भोपाल एवं इन्दौर में आवश्यक मशीन के उपभोग की सुविधा ।
- **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** – स्टार्ट-अप्स को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रूपए 13000 प्रतिवर्ष तीन वर्षों के लिये अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।
- **रोजगार सृजन अनुदान** - नियोक्ता द्वारा उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगी एवं अधिकतम 25 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को

उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अन्दर	50%
2	2 वर्ष के अन्दर	75%
3	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

- **विद्युत शुल्क पर छूट :-** सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 3 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।
- **विद्युत टैरिफ में रियायत :-** नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्षों हेतु 5 रुपये प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति।
- प्रचलित एमएसएमई विकास नीति में प्रावधानित सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा।

6.3.3 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत वित्तीय सहायता/गैर वित्तीय सहायता

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु विषय से संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति का गठन किया जावेगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा –

- रूपए 1 करोड़ तक अनुदान, जिसे अधिकतम चार चरणों अथवा इस हेतु सक्षम समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सत्पापित किया जावेगा। चयनित स्टार्ट-अप्स का आंकलन, निगरानी एवं मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए द्वारा कार्यों के आधार पर सक्षम समिति द्वारा किया जावेगा।
- समस्त आवश्यक अनुज्ञप्ति/सम्मति शुल्क से छूट अथवा प्रतिपूर्ति एवं कार्योत्तर स्वीकृति।
- दो वर्षों हेतु राज्य उपार्जन में सहायता। उपयुक्त पाए जाने की दशा में मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (समय-समय पर होने वाले संशोधन सहित) के प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

- अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग/कार्यालयीन सहयोग सहित बैठक व्यवस्था।
- उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप चयनित होने की दशा में उसे नीति में उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप हेतु प्रावधानित सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

7

प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश

स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ संलग्न प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अनुसार प्रदान किया जावेगा।

8

संशोधन / शिथिल/निरसन का अधिकार

नीति अन्तर्गत प्रावधानों के रहते मध्य प्रदेश सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

1. इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।
2. इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
3. नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश / स्पष्टीकरण / दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
4. इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 अप्रभावी हो जावेगी।

9

अधिकार क्षेत्र

किसी भी विवाद के मामले में, न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश होगा।

प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 लागू की गई है। उक्त नीति में स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को विभिन्न सहायता हेतु किए गए प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन "मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022" लागू करता है।

2. योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र

- 2.1 यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।
- 2.2 स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। उत्पाद आधारित स्टार्ट-अप्स के प्रकरण में अधिसूचना दिनांक के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयाँ को इस नीति अन्तर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
- 2.3 अधिसूचना दिनांक से पूर्व स्थापित होने वाले स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2019 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होगी। ऐसे प्रकरणों का निराकरण को पूर्व नीति के अनुरूप किया जावेगा।
- 2.4 पूर्व/प्रचलित नीति(यों) अंतर्गत स्टार्ट-अप/इन्क्यूबेटर्स को सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों)

अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2022" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. योजना कार्यान्वयन हेतु समितियों का गठन

3.1 राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति –

राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम कार्यान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा –

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, नगरीय आवास एवं विकास विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
7	महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
9	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

3.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1	प्रमुख सचिव संबंधित विभाग (चुनौती में चयनित विषय के)	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव से अनिम्न अधिकारी ना हों)	सदस्य
4	महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर	सदस्य सचिव
6	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

3.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति

पात्र स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को नीति अन्तर्गत प्रावधानित सुविधाओं के पात्रता निर्धारण एवं स्वीकृति हेतु समिति का गठन निम्नानुसार होगा –

क्रमांक	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1.	प्रमुख सचिव/सचिव, एमएसएमई विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	उद्योग आयुक्त, म.प्र.	सदस्य
8.	संचालक, एमएसएमई	सदस्य
9.	प्रमुख, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर, भोपाल	सदस्य सचिव
10.	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित	सदस्य

टीप :- समिति की बैठक का कोरम न्यूनतम 5 सदस्यों से पूर्ण होगा।

4. विविध

- 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को उपलब्ध होगी।
- 4.2 स्टार्ट-अप्स एवं इन्क्यूबेटर्स को भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- 4.3 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई (उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स को छोड़कर) द्वारा किसी अन्य नीति अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायतें लेने/आवेदन करने पर इस योजना अंतर्गत सहायता हेतु अपात्र होगी ।
- 4.4 इस योजना में उल्लेखित आवेदन की समय-सीमा में राज्य स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेगी।

5. समितियों के दायित्व


- 5.1 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत स्टार्ट-अप्स की स्क्रीनिंग एवं चयन एवं नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं सामान्य पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति का दायित्व-

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु संस्थान से अवधारणा आमंत्रित किए जाने एवं उन पर सर्व संबंधित विभागों के अभिमत/अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्टता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। समिति नीति के सुगम क्रियान्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण का दायित्व भी निर्वहन करेगी। समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।

5.2 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge) अन्तर्गत चयनित स्टार्ट-अप्स के आंकलन/मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय समिति का दायित्व - मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टार्ट-अप साधिकार समिति द्वारा चयनित संस्थान द्वारा आर्थिक सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु किए गए कार्यों का आंकलन एवं मूल्यांकन कर उन्हें समयबद्ध रीति से राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत प्रावधानित अनुदान स्वीकृति की अनुशंसा करेगी।

5.3 राज्य स्तरीय सहायता समिति का दायित्व –

- 5.3.1 योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में इकाई/संस्था के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।
- 5.3.2 मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन सहित सहायता संबंधी प्रकरण राज्य स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।
- 5.3.3 योजना अंतर्गत सभी सहायताओं की प्रथम बार स्वीकृति राज्य स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी। उसके बाद मिलने वाली स्वीकृत सहायता की किश्तें पात्रतानुसार स्वमेव, बिना पुनः समिति में समक्ष प्रस्तुत किए बगैर प्राप्त होंगी।
- 5.3.4 समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जावेगा।
- 5.3.5 समुचित विचारोपरान्त राज्य स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वह योजना अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत सहायता(सहायताएं) एवं जहां लागू हो, दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण/मापदण्ड का उल्लेख करते हुये जारी किया जायेगा।
- 5.3.6 समिति के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आए, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़े, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने



निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिए गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. योजनान्तर्गत आवेदन इकाई को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को प्रधानता (Preferably) ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्नानुसार अनुलग्नक प्रस्तुत किये जायेंगे :-

- 6.1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्ट-अप इण्डिया से मान्यता प्राप्त होने की प्रमाणित छाया प्रति।
- 6.2 इकाई में आवेदित वर्ष में माहवार कुल रोजगार की संख्या के संबंध में इकाई का नोटराइज्ड शपथ पत्र।
- 6.3 इकाई के गठन संबंधी सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र।
- 6.4 निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र।
- 6.5 वित्तीय व्यवस्था का विवरण (स्वयं के स्रोतों से अथवा बैंक ऋण अथवा सेबी/आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की स्थिति में वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति/वितरण पत्र)।
- 6.6 संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन।
- 6.7 उत्पाद आधारित स्टार्ट अप को योजनान्तर्गत प्रावधानित गैर वित्तीय सुविधाओं का लाभ आवेदन करने पर प्राप्त हो सकेगा किन्तु वित्तीय सुविधाओं का लाभ इकाई में वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात प्राप्त हो सकेगा।

7. अपील

राज्य स्तरीय सहायता समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रशासकीय विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से 90 दिवस के भीतर की जा सकेगी विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को विभाग गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगा। प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. व्याख्या/मार्गदर्शन/आवेदन प्रारूप/प्रपत्र तैयार करने के अधिकार

योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रशासकीय विभाग द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। योजनान्तर्गत प्रावधानित सहायता का लाभ लेने हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का प्रारूप तैयार करने हेतु प्रशासकीय विभाग अधिकृत होगा। इस योजना एवं राज्य शासन की अन्य निवेश नीतियों की भाषा में विरोधाभास होने पर मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्गदर्शन दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।


9. संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -


9.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

9.2 इस योजना के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।







सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग